2017 का विधेयक संख्यांक 112

[दि स्टेट बैंक्स (रिपील एंड अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955

का और संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अध्याय 2

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का निरसन

निरसन और व्यावृत्तियां ।

2. (1) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 इसके द्‌वारा निरसित किया जाता है । 1959 का 38 1956 का 79

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन हैदराबाद स्टेट बैंक, बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक, मैसूर स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट बैंक और त्रावणकोर स्टेट बैंक द्‌वारा या हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन हैदराबाद का स्टेट बैंक द्‌वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत किया गया कोई करार भी है, प्रवर्तन में बनी रहेगी और उसका ऐसा प्रभाव होगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया । 1959 का 38 1956 का 79

(3) निरसन के प्रभाव के संबंध में उपधारा (2) में की विशिष्टियों का उल्लेख, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने के प्रतिकूल नहीं होगा या उसे प्रभावित नहीं करेगा । 1897 का 10

अध्याय 3

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

3. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ज) का लोप किया जाएगा । 1955 का 23

धारा 18 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में "जिसके अंतर्गत समनुषंगी बैंक से संबंधित कृत्य आते हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 31 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) में "अथवा समनुषंगी बैंक का निदेशक है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 31क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) में "अथवा समनुषंगी बैंक का निदेशक है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 32 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 32 में,--

(क) उपधारा (1) में "अथवा जहां समनुषंगी बैंक की शाखा है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में "या समनुषंगी बैंक के द्‌वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 36 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (कक) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक, मैसूर स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट बैंक और त्रावणकोर स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किए गए थे । हैदराबाद स्टेट बैंक का मूल रूप से हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम, 1350 एफ के अधीन हैदराबाद स्टेट बैंक के रूप में गठन किया गया था और उसे हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन हैदराबाद का स्टेट बैंक के रूप में पुनःनामित किया गया था । हैदराबाद स्टेट बैंक और पटियाला स्टेट बैंक पूर्णतः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के स्वामित्वाधीन थे । भारतीय स्टेट बैंक की 90 प्रतिशत शेयर धारित मैसूर स्टेट बैंक में, 75.07 प्रतिशत शेयरधारिता बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक में और 79.09 प्रतिशत शेयरधारिता त्रावणकोर स्टेट बैंक में थी ।

2. संसाधनों के सुव्यवस्थीकरण, खर्चों की कमी, बेहतर लाभ प्रदाता, निधियों के निम्नतर खर्चों के कारण संपूर्ण जन समुदाय के लिए ब्याज की बेहतर दर, उत्कृष्ट उत्पादकता और उपभोक्ता सेवा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक, मैसूर स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट बैंक, त्रावणकोर स्टेट बैंक और हैदराबाद स्टेट बैंक (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् समनुषंगी बैंक कहा गया है) के साथ कारबार अर्जित करने के लिए, जिसके अन्तर्गत उनकी आस्तियां और दायित्व भी है, बातचीत शुरू की ।

3. ऐसे अर्जनों से संबंधित स्कीमें भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और क्रमशः समनुषंगी बैंको के बोर्डों के मध्य करार पाई गईं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनका अनुमोदन कर दिया गया था । केन्द्रीय सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन पर अपनी मंजूरी दे दी । तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने अर्जन स्कीम को मंजूरी देते हुए निम्नलिखित आदेश, अर्थात् (क) बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक का अर्जन आदेश, 2017; (ख) मैसूर स्टेट बैंक का अर्जन आदेश, 2017; (ग) पटियाला स्टेट बैंक का अर्जन आदेश, 2017 ; (घ) त्रावणकोर स्टेट बैंक का अर्जन आदेश, 2017 ; (ङ) हैदराबाद स्टेट बैंक का अर्जन आदेश, 2017, जारी किए । ये आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 156(अ) से 160(अ), तारीख 22 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार समनुषंगी बैंकों का कारबार 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाएगा ।

4. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समनुषंगी बैंकों का अर्जन करने के पश्चात् समनुषंगी बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और इसलिए भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का निरसन आवश्यक है ।

5. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में कतिपय उपबंध ऐसे हैं जो समनुषंगी बैंकों को लागू होते हैं । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी समनुषंगी बैंकों के अर्जन के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में के ऐसे उपबंधों को प्रतिधारित करना

आवश्यक नहीं है । अतः उक्त अधिनियम में जहां तक उनका संबंध समनुषंगी बैंकों से है, कतिपय संशोधन आवश्यक हैं । संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली; **अरुण जेटली**
11 जुलाई, 2017

उपाबंध

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955(1955 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

(ज) "समनुषंगी बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) द्वारा यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक अभिप्रेत है;

*　　*　　*　　*　　*　　*

केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा ।

18. (1) अपने कृत्यों के जिनके अन्तर्गत समनुषंगी बैंक से संबंधित कृत्य आते हैं, निर्वहन में स्टेट बैंक लोक हित अन्तर्ग्रस्त रखने वाली नीति के मामलों में ऐसे निदेशों के अनुसार कार्य करेगा जैसे केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक के अध्यक्ष से परामर्श करके उसे दे ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशन ।

31. (1)　　*　　*　　*　　*　　*

(3) जो कोई निदेशक स्टेट बैंक द्वारा या उसकी ओर से कृत या की जाने के लिए प्रस्थापित किसी संविदा, ऋण ठहराव या प्रस्तावना से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पृक्त या हितबद्ध है वह यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर अपने हित का, स्वरूप केन्द्रीय बोर्ड को बता देगा और जब कि ऐसे किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्थापना पर विचार-विमर्श हो रहा हो तब जब तक कि अन्य निदेशकों ने जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी उपस्थिति की अपेक्षा न की हो, वह केंद्रीय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित न होगा तथा इस प्रकार उपस्थित होने के लिए अपेक्षित कोई निदेशक ऐसी किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्थापना पर मत नहीं डालेगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक को केवल इस कारण ही लागू न होगी कि वह–

*　　*　　*　　*　　*　　*

(ii) स्टेट बैंक का पदेन निदेशक है अथवा समनुषंगी बैंक का निदेशक है, अथवा

*　　*　　*　　*　　*　　*

केंद्रीय बोर्डो के अधिवेशन ।

31क. (1)　　*　　*　　*　　*　　*

(3) ऐसा कोई सदस्य, जो ऐसी किसी संविदा, उधार, ठहराव या प्रस्थापना से सम्पृक्त या हितबद्ध है, जो स्टेट बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई है या किए जाने के लिए प्रस्थापित है, यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर स्थानीय बोर्ड में अपने हित के स्वरूप को प्रकट करेगा तथा जब किसी ऐसी संविदा, उधार, ठहराव या प्रस्थापना पर विचार किया जाता है तब स्थानीय बोर्ड के किसी अधिवेशन में वहां के सिवाय उपस्थित न रहेगा जहां कि अन्य सदस्य इस प्रयोजन से कि उससे जानकारी प्राप्त की जाए, उसके उपस्थित रहने की उससे अपेक्षा करते हैं, और जिस सदस्य से उपस्थित रहने की ऐसी अपेक्षा की गई है वहां किसी संविदा, उधार, ठहराव या प्रस्थापना के विषय में कोई मत न डालेगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे सदस्य को केवल इस कारण लागू न होगी कि वह—

*　　*　　*　　*　　*　　*

(ii) स्टेट बैंक का पदेन निदेशक है अथवा समनुषंगी बैंक का निदेशक है ।

* * * * * *

अध्याय 6

स्टेट बैंक का कारोबार

स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा ।

32. (1) स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा अपने से ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, भारत के ऐसे स्थानों में, जहां उसकी शाखा है अथवा जहां समनुषंगी बैंक की शाखा है तथा रिजर्व बैंक बैंककारी विभाग की कोई शाखा नहीं है—

(क) भारत में की किसी सरकार की ओर से धन, सोना, चांदी और प्रतिभूतियां देने, प्राप्त करने, संगृहीत और संप्रेषित करने के लिए, और

(ख) कोई अन्य कामकाज, जो उसे रिजर्व बैंक समय-समय पर सौंपे, लेने और संव्यवहृत करने के लिए,

रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा ।

* * * * * *

(4) स्टेट बैंक अपने को उपधारा (1) के अधीन सौंपे गए किसी कामकाज का संव्यवहरण या कृत्य का पालन या तो स्वयं ही या समनुषंगी बैंक के द्वारा] या रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अभिकर्ता के माध्यम से कर सकेगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

निधियां, लेखा और लेखा संपरीक्षा

एकीककरण और विकास निधि ।

36. (1) * * * * *

(2) उक्त निधि में जो रकम हो वह निम्नलिखित की पूर्ति के लिए अनन्यत: लगाई जाएगी—

* * * * * *

(कक) वे सहाय्यिकियां जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से स्टेट बैंक को अनुदत्त की हों; तथा

* * * * * *

GMGIPMRND—1063LS(CRC)—14-07-2017.